

व्यापार योजना  
आय सृजन करने वाली गतिविधि- केंचुआ खाद  
द्वारा  
स्वयं सहायता समूह - स्वयं सहायता समूह चनाजलपुल



|                                      |    |                            |
|--------------------------------------|----|----------------------------|
| स्वयं सहायता समूह /सामान्य रुचि समूह | :: | स्वयं सहायता समूह चनाजलपुल |
| ग्राम वन विकास समिति                 | :: | जीखनीपुल                   |
| वन परिक्षेत्र                        | :: | बमटा                       |
| वन मण्डल                             | :: | चौपाल                      |

वित्त पोषित:



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थिति की तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाइका सहायता प्रदान)



## सामग्री तालिका

| क्रमांक संख्या | विवरण   | पृष्ठ/सं। |
|----------------|---|-----------|
| 1.             | पृष्ठभूमि                                     | 3         |
| 2.             | स्वयं सहायता समूह/ सामान्य रुचि समूह का विवरण | 4         |
| 3.             | लाभार्थियों का विवरण                          | 4         |
| 4.             | गांव का भौगोलिक विवरण                         | 5         |
| 5.             | आय उत्पन्न गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण | 5         |
| 6.             | उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण                  | 5         |
| 7.             | उत्पादन योजना का विवरण                        | 6         |
| 8.             | विपणन / बिक्री का विवरण                       | 6         |
| 9.             | SWOT विश्लेषण                                 | 7         |
| 10.            | सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण               | 7         |
| 11.            | लागत विश्लेषण                                 | 8-9       |
| 12.            | आर्थिक विश्लेषण का सार                        | 10        |
| 13.            | निधि की आवश्यकता                              | 10        |
| 14.            | निधि के स्रोत                                 | 10        |
| 15.            | बैंक ऋण पुनर्भुगतान                           | 11        |
| 16.            | प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयन      | 11        |
| 17.            | निगरानी विधि                                  | 11        |
| 18.            | समूह के सदस्य, तस्वीरें                       | 12        |
| 19.            | प्रमाण पत्र                                   | 13        |

## 1 पृष्ठभूमि

केंचुआ खाद मुख्य रूप से जैविक खेती की ओर बदलाव के कारण, लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इसके साथ पारिस्थितिक, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य लाभ जुड़े हुए हैं। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वर्मिन-कम्पोस्ट के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य, विभिन्न खनिजों का संतुलित अनुपात और अच्छी उर्वरता और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन होता है। वर्मी-कम्पोस्टिंग का टिकाऊ कृषि और बागवानी उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं।

## केंचुआ खाद

केंचुआ खाद, जिसे सही ढंग से गोल्ड फ्रॉम गारबेज कहा जाता है, जैविक खेती में प्रमुख निवेश है। केंचुआ खाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केंचुए जैविक अपशिष्ट को उच्च पोषण सामग्री से भरपूर खाद में परिवर्तित करते हैं। केंचुए आमतौर पर मिट्टी में रहते हुए पाए जाते हैं, बायोमास पर पलते हैं और इसे पचाए गए रूप में उत्सर्जित करते हैं। केंचुए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों पर फ्रीड करते हैं और "वर्मीकास्ट" के रूप में मल-मूत्र देते हैं जो नाइट्रेट्स और खनिजों जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम में समृद्ध होते हैं। इन वर्मीकास्ट का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है और वे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की बहुत मांग है

## सामग्री की आवश्यकता

1. पानी
2. गाय का गोबर
3. फूस की छत
4. मिट्टी या रेत
5. केंचुए
6. बोरे
7. कार्बनिक बायोमास
8. प्लास्टिक या सीमेंटेड टैंक
9. सूखे पुआल और खेतों से एकत्र पत्तियों
10. खेतों और रसोई से एकत्र किए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे

## 1. स्वयं सहायता समूह/ सामान्य रुचि समूह का विवरण

|   |  |
|---|--|
| स्वयं सहायता समूह/सामान्य रुचि समूह<br>ग्राम वन विकास समिति | स्वयं सहायता समूह वनजालपुल<br>जीखनीपुल |
| वन परिक्षेत्र   | बमटा                                   |
| वन मंडल   | चौपाल                                  |
| जिला  | शिमला                                  |
| कुल संख्या स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की<br>गठन की तिथि   | 10<br>13-12-2022                       |
| बैंक खाता संख्या  | 41535331609                            |
| बैंक विवरण  | SBI                                    |
| स्वयं सहायता समूह /सामान्य रुचि समूह मासिक<br>बचत           | 100/-                                  |
| कुल बचत   | 1000/-                                 |
| कुल अंतर-ऋण   | -                                      |
| नकद ऋण सीमा   | -                                      |
| पुनर्भूगतान स्थिति  | -                                      |

## 2. लाभार्थियों का विवरण

| क्र. सं | नाम                      | पिता / पति का नाम | उम्र | शिक्षा | वर्ग          | आय स्रोत | पता              | संपर्क नंबर |
|---------|--------------------------|-------------------|------|--------|---------------|----------|------------------|-------------|
| 1.      | सुनीता देवी<br>(अध्यक्ष) | मोहि राम          | 42   | 8th    | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 8894691624  |
| 2.      | सुनीता देवी<br>(सचिव)    | राकेश             | 42   | 8th    | सामान्य       | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 9816153052  |
| 3.      | गंगा देवी                | मदन लाल           | 34   | 12 th  | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 9816899016  |
| 4.      | अनीता देवी               | राकेश             | 30   | 12 th  | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 9015390557  |
| 5.      | शीला देवी                | मेहर सिंह         | 51   | 5th    | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 620361942   |
| 6.      | रेखा देवी                | मोहन लाल          | 38   | 10th   | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 7807386176  |
| 7.      | बेगू देवी                | लोकिदर            | 38   | 5th    | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 8627023813  |
| 8.      | उत्तमु देवी              | मोहि राम          | 68   | -      | अनुसूचित जाति | कृषि     | गाँव<br>चनजालपुल | 8894611765  |

|    |             |            |    |       |               |      |               |            |
|----|-------------|------------|----|-------|---------------|------|---------------|------------|
| 9  | दुर्गा देवी | रमेश कुमार | 36 | 12 th | अनुसूचित जाति | कृषि | गाँव चनजालपुल | 6230337641 |
| 10 | सुनीता देवी | वीरेंद्र   | 42 | 12th  | सामान्य       | कृषि | गाँव चनजालपुल | 8544706787 |

#### 4. गांव के भौगोलिक विवरण

|     |  |    |                               |
|-----|--|----|-------------------------------|
| 3.1 | जिला मुख्यालय से दूरी                                    | :: | 120 किलोमीटर                  |
| 3.2 | मुख्य सड़क से दूरी                                       | :: | .....किलोमीटर                 |
| 3.3 | स्थानीय बाजार का नाम और दूरी                             | :: | जीखनीपुल                      |
| 3.4 | मुख्य बाजार का नाम और दूरी                               | :: | नेरवा 10 , चौपाल 20 किलोमीटर. |
| 3.5 | मुख्य शहरों का नाम और दूरी                               | :: | शिमला 120 किलोमीटर            |
| 3.6 | मुख्य स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा / विपणन किया जाएगा | :: | , चौपाल , नेरवा               |

#### 5. आय उत्पन्न गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| 4.1 | उत्पाद का नाम   | :: | केंचुआ खाद  |
| 4.2 | उत्पाद पहचान की विधि  | :: | केंचुआ खाद की बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए गतिविधि को शॉर्टलिस्ट और अंतिम रूप दिया गया था, यह क्षेत्र एक सेब बेल्ट है। |
| 4.3 | स्वयं सहायता समूह/सामान्य हित समूह/क्लस्टर सदस्यों की सहमति | :: | हां, गतिविधि सामूहिक रूप से समूह द्वारा तय की गई थी।  |

#### 6. उत्पादन प्रक्रिया का विवरण

|       |   |
|-------|---|
| चरण 1 | केंचुआ खाद तैयार करने के लिए, या तो एक प्लास्टिक या एक कंक्रीट टैंक / गड्ढे का उपयोग किया जा सकता है। टैंक/गड्ढे का आकार कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, हालांकि एक मानक के रूप में, आकार को 10ftX4ftX2ft रखा जा रहा है। |
| चरण-2 | बायोमास इकट्ठा करें और इसे लगभग 8-12 दिनों के लिए सूरज के नीचे रखें। अब कटर का उपयोग करके इसे आवश्यक आकार में काट लें।  |
| चरण-3 | एक गाय के गोबर का घोल तैयार करें और इसे जल्दी से अपघटन के लिए ढेर पर छिड़कें।   |
| चरण-4 | टैंक / गड्ढे के नीचे सीमेंट कंक्रीट की एक परत (2-3 इंच) जोड़ें।   |
| चरण-5 | अब आंशिक रूप से विघटित गाय के गोबर, सूखे पत्ते और खेतों और रसोई से एकत्र किए गए अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरे को जोड़कर ठीक बिस्तर तैयार करें। उन्हें कंक्रीट की परत पर समान रूप से वितरित करें।                                       |
| चरण-6 | कटे हुए जैव-अपशिष्ट और आंशिक रूप से विघटित गाय के गोबर को परत-वार टैंक / गड्ढे में 0.5-1.0 फीट की गहराई तक जोड़ना जारी रखें।  |
| चरण-  | सभी जैव अपशिष्टों को जोड़ने के बाद, मिश्रण पर केंचुआ प्रजातियों को छोड़ दें और सूखे पुआल या बोरी के साथ खाद मिश्रण को कवर   |



|          |  |
|----------|--|
| 7        | करें।  |
| चरण - 8  | खाद की नमी की मात्रा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी छिड़कें।   |
| चरण - 9  | चींटियों, छिपकलियों, माउस, सांपों आदि के प्रवेश को रोकने के लिए एक छत के साथ टैंक / गट्टे को कवर करें और बारिश के पानी और सीधी धूप से खाद की रक्षा करें।   |
| चरण - 10 | अति ताप से खाद को बचने के लिए एक लगातार जाँच उचित नमी और तापमान बनाए रखें।   |
| चरण - 11 | कैचुआ खाद संग्रह के बाद कैचुओं का संग्रह। पूरी तरह से कंपोस्ट तैयार सामग्री को अलग करने के लिए कंपोस्ट सामग्री की सिटिंग। आंशिक रूप से सामग्री को फिर से वर्मी-कम्पोस्ट बिस्तर में डाल दिया जाएगा। |
| चरण - 12 | नमी बनाए रखने और लाभकारी माइक्रोऑर्गेनिज्म को बढ़ने की अनुमति देने के लिए उचित स्थान पर वर्मी कम्पोस्ट का भंडारण।  |

### 7. उत्पादन योजना का विवरण

|     |   |    |                               |
|-----|---|----|-------------------------------|
| 6.1 | उत्पादन चक्र (दिनों में)                                  | :: | 90 दिन (एक वर्ष में तीन चक्र) |
| 6.2 | प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (सं.)                           | :: | 1                             |
| 6.3 | कच्चे माल का स्रोत  | :: | घर और अपने खेतों से           |
| 6.4 | अन्य सामग्री का स्रोत                                     | :: | खुला बाजार                    |
| 6.5 | कच्चा माल - प्रति सदस्य प्रति चक्र (किग्रा) आवश्यक मात्रा | :: | 1800 किलो ग्राम प्रति चक्र    |
| 6.6 | प्रति सदस्य चक्र (किग्रा) अपेक्षित उत्पादन                | :: | प्रति चक्र 900 किलो ग्राम     |

### 8. विपणन / बिक्री का विवरण

|     |                             |    |   |
|-----|-----------------------------|----|---|
| 7.1 | संभावित बाजार स्थानों       | :: | हिमाचल प्रदेश वन विभाग।<br>स्थानीय बाजार<br>अपने स्वयं के खेत पर उपयोग करें   |
| 7.2 | इकाई से दूरी                | :: | विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की जानी चाहिए  |
| 7.3 | बाजार में उत्पाद की मांग    | :: | हिमाचल प्रदेश वन विभाग। अपनी नर्सरी के लिए विशाल वर्मी कम्पोस्ट खरीद रहा है। बगीचे के उपयोग के लिए इलाके में भारी मांग, क्षेत्र एक सेब बेल्ट होने के नाते।                                    |
| 7.4 | बाजार की पहचान की प्रक्रिया | :: | परियोजना प्रबंधन इकाई स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की खरीद को हिमाचल प्रदेश वन विभाग के साथ जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी।  |
| 7.5 | उत्पाद की विपणन रणनीति      | :: | स्वयं सहायता समूह के सदस्य भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों का भी पता लगाएंगे।   |
| 7.6 | उत्पाद ब्रांडिंग            | :: | सामान्य हित समूह/स्व-सहायता समूह स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आय उत्पादन गतिविधि क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है |
| 7.7 | उत्पाद "नारा"               | :: | "चलो जैविक चलते हैं"  |

## 9. SWOT विश्लेषण

- ❖ शक्ति
- ❖ स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 4 तक के मवेशी हैं
- ❖ स्वयं सहायता समूह सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं जो पूरे वर्ष कच्चे माल यानी खेत जैविक अपशिष्टों की पर्याप्त उपलब्धता प्रदान करते हैं।
- ❖ उनके खेतों में आसानी से उपलब्ध कच्चे माल
- ❖ विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- ❖ उचित पैकिंग और परिवहन के लिए आसान
- ❖ परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों के साथ सहयोग करेंगे
- ❖ उत्पाद शेल्फ जीवन लंबा है
- ❖ कमजोरी
- ❖ विनिर्माण प्रक्रिया / उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव.
- ❖ तकनीकी जानकारी की कमी
- ❖ अवसर
- ❖ जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों के बीच जागरूकता के कारण वर्मी कम्पोस्ट की बढ़ती मांग
- ❖ अपने स्वयं के क्षेत्र पर वर्मी-कम्पोस्ट का अनुप्रयोग मिट्टी के स्वास्थ्य और गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन में सुधार और वृद्धि करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा जो बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।
- ❖ रसोई के बाहर छोड़ दिया घर सहित कार्बनिक अपशिष्ट का सबसे अच्छा उपयोग
- ❖ हिमाचल प्रदेश वन के साथ विपणन करार की संभावना
- ❖ जोखिम
- ❖ चरम मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना
- ❖ प्रतिस्पर्धी बाजार
- ❖ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों के बीच प्रतिबद्धता का स्तर

## 10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- ➔ उत्पादन - कच्चे माल की खरीद सहित व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा
- ➔ गुणवत्ता आश्वासन - सामूहिक रूप से
- ➔ सफाई और पैकेजिंग - सामूहिक रूप से
- ➔ विपणन - सामूहिक रूप से
- 4. इकाई की निगरानी - सामूहिक

## 11. लागत विवरण

(Amount in actual Rs.)

| क्रमांक              | विवरण   | इकाई        | मात्रा / | लागत (₹.) | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 |
|----------------------|---|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>A. पूंजी लागत</b> |   |             |          |           |        |        |        |        |        |
| A.1                  | बक-शेड का निर्माण                                       |             |          |           |        |        |        |        |        |
| 1                    | हाईवेयर आइटम, गड्डे का निर्माण (आकार 10mX4mX2m का शीमा) | प्रति सदस्य | 10       | 6200      | 62000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2                    | कवर शेड का निर्माण                                      | प्रति सदस्य | 10       | 4200      | 42000  |        |        |        |        |
|                      | उप-कुल (A.1)  |             |          |           | 104000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| A.2                  | मशीनरी और उपकरण   |             |          |           |        |        |        |        |        |
| 2                    | उपकरण, उपकरण आदि।                                       | प्रति सदस्य | 10       | 2300      | 23000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                      | उप-कुल (A.2)  |             |          |           | 23000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                      | कुल पूंजी लागत (A.1+A.2)                                |             |          |           | 127000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>B आवर्ती लागत</b> |   |             |          |           |        |        |        |        |        |
| 3                    | बीज केचुर   | प्रति किलो  | 10       | 600       | 6000   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4                    | बोल गोबर अपशिष्ट की खरीद की लागत                        | टन          | 42       | 900       | 37800  | 39690  | 41674  | 43757  | 45944  |
| 5*                   | श्रम लागत   | प्रति टन    | 21       | 700       | 14700  | 15435  | 16206  | 17016  | 17866  |
| 6                    | पैकिंग सामग्री  | संख्या      | 182      | 50        | 9100   | 9555   | 10032  | 10533  | 11059  |
| 7                    | अन्य हैडिंग शुल्क                                       | प्रति टन    | 21       | 150       | 3150   | 3307   | 3472   | 3645   | 3827   |
| <b>C अन्य शुल्क</b>  |   |             |          |           |        |        |        |        |        |



|    |                                  |            |    |      |        |        |        |        |        |
|----|----------------------------------|------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8  | बीमा                             | L/s        |    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | ऋण पर ब्याज                      | प्रति वर्ष |    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | कुल आवर्ती लागत                  |            |    |      | 70750  | 67987  | 71384  | 74951  | 78696  |
|    | कुल लागत = पूंजी + आवर्ती        |            |    |      | 197750 | 67987  | 71384  | 74951  | 78696  |
| D  | वर्मीकम्पोस्टिंग से होने वाली आय |            |    |      |        |        |        |        |        |
| 12 | वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री          | टन         | 21 | 6400 | 134400 | 147840 | 162624 | 178886 | 196774 |
| 13 | कैचुए की बिक्री                  |            |    |      |        | 3500   | 7000   | 7000   | 7000   |
| 14 | कुल राजस्व                       |            |    |      | 134400 | 151340 | 169624 | 185886 | 203774 |
| 15 | नेट रिटर्न (D-C)                 |            |    |      | -63350 | 83353  | 98240  | 110935 | 125079 |

नोट -

- अपनी जमीन पर गतिविधि
- सभी संचालन सदस्यों द्वारा स्वयं किए जाने के लिए
- कोई अतिरिक्त श्रम लागत नहीं है, क्योंकि सभी सदस्य खुद काम करेंगे.

लागत का सार / लाभ

| विवरण        | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| पूंजीगत लागत | 127000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| आवर्ती लागत  | 70750  | 67987  | 71384  | 74951  | 78696  |
| कुल लागत     | 197750 | 67987  | 71384  | 74951  | 78696  |
| कुल राजस्व   | 134400 | 151340 | 169624 | 185886 | 203775 |
| शुद्ध लाभ    | -63350 | 83353  | 98240  | 110935 | 125079 |



## 12. आर्थिक विश्लेषण के सार

13. प्रत्येक सदस्य के लिए गड्डे के आकार को एक गड्डे के लिए 10X4X2 फीट पर योजनाबद्ध किया गया है।
  14. वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 3.6 रुपये प्रति किलोग्राम अनुमानित की गई है
  15. वर्मी कम्पोस्ट (रूढ़िवादी पक्ष) की बिक्री 6 रुपये प्रति किलो की दर से प्रस्तावित है
  16. निवल लाभ  $6 - 3.6 = 2.4$  रुपये प्रति किलो होने का अनुमान है
  17. यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य हर साल 3.3 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 14 सदस्यों द्वारा 46.2 टनेश्वरमी-कम्पोस्ट का उत्पादन होगा।
  18. केंचुए की लागत 500.00 रुपये प्रति किलो रखी गई है
  19. दूसरे वर्ष के दौरान, बिक्री के लिए अधिशेष केंचुए होंगे (क्योंकि यह वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान गुणा करेगा)
  20. वर्मी कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आय सृजन गतिविधि है और इसलिए इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा शुरू किया गया है।
13. निधि की आवश्यकता:

| क्रमांक. | विवरण                                    | कुल राशि (₹) | परियोजना समर्थन | स्वयं सहायता समूह का योगदान |
|----------|--|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1        | कुल पूंजी लागत                           | 127000       | 95250           | 31750                       |
| 2        | कुल आवर्ती लागत                          | 70750        | 0               | 70750                       |
| 3        | प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयन | 25000        | 25000           | 0                           |
|          | कुल =                                    | 222750       | 120250          | 102500                      |

नोट -

- पूंजीगत लागत - परियोजना के तहत कवर की जाने वाली पूंजीगत लागत का और 75%
- आवर्ती लागत - स्वयं सहायता समूह/सामान्य ब्याज समूह द्वारा वहन की जानी है।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन - परियोजना द्वारा वहन किया जाना

## 14. निधि के स्रोत:

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| परियोजना का समर्थन;         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पूंजीगत लागत का 75% गड्डे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 10ftX4ftX2ft का होगा)</li> <li>• 1लाख रुपये रिवाँल्विंग फंड के रूप में स्वयं सहायता समूह बैंक खाते में (बैंक से ऋण लेने के मामले में बैंक ऋण लेने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए) या एक परिक्रामी निधि के रूप में रखा जाएगा।</li> <li>• प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।</li> </ul> | गड्डे/गड्डे के निर्माण के लिए सामग्री की खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित प्रभागीय प्रबंधन इकाई द्वारा की जाएगी। |
| स्वयं सहायता समूह का योगदान | <ul style="list-style-type: none"> <li>• स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत का 25% इसमें/शेड के निर्माण की लागत शामिल है।</li> <li>• आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जानी चाहिए</li> </ul>  |   |

### 15. बैंक ऋण चुकौती

यदि बैंक से ऋण लिया जाता है तो यह नकद क्रेडिट सीमा के रूप में होगा और नकद ऋण सीमा के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद को नकद ऋण सीमा के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

- नकद ऋण सीमा में स्वयं सहायता समूह के बकाया मूल ऋण का भुगतान बैंकों को वर्ष में एक बार पूरी तरह से किया जाना चाहिए। ब्याज की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- आवधिक ऋणों में पुनर्भुगतान बैंकों में पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

### 16. प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

- निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का प्रस्ताव आवश्यकता है-
- परियोजना अभिविन्दास समूह गठन / पुनर्गठन
- समूह अवधारणा और प्रबंधन
- आय पीढ़ी गतिविधि के लिए परिचय (सामान्य)
- विनयन और व्यापार योजना विकास
- बैंक क्रेडिट लिंकेज और उद्यम
- स्वयं सहायता समूह का एक्सपोजर दौरा - राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

### 17. निगरानी विधि

- ग्राम वन विकास समिति की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आय सृजन गतिविधि की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आय सृजन गतिविधि की प्रगति और निष्पादन की भी समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।



# 18. समूह के सदस्यों की तस्वीरें



Suman Devi

Sunita Devi

Geeta Devi

Anita Devi



Begum Devi

Sharda Devi

Sunita

Rakha



Diya Devi

UTMU DEVI

## प्रमाण पत्र

आय सृजन गतिविधि के लिए स्वयं सहायता समूह स्वयं सहायता समूह चनजालपुल कि व्यवसाय योजना ग्रामीण वन विकास समिति के सामान्य सदन के समक्ष ग्राम वन विकास समिति जीखनीपुल को अनुमोदन हेतु प्राप्त विभिन्न सदस्यों द्वारा लम्बी चर्चा और विचार - विमर्श के बाद, केंचुआ खाद व्यवसाय योजना को स्वयं सहायता समूह में अपनाने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आगे कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया।

दिनांक:-  
स्थान:- जीखनीपुल

अध्यक्ष (स्वयं सहायता समूह)

President  
Village Forest  
Development Society  
Jhiknipul

प्रधान (ग्राम वन विकास समिति)


Secretary

Jhiknipul

कोषाध्यक्ष (स्वयं सहायता समूह)

Treasurer  
VFDS

एफ०टी०यू० अधिकारी बमटा



स्वयं सहायता समूह चनजालपुल  
काठ प० शिखनीपुल, तह० चौकल,  
जिला शिमला, (हि० प०)

अनुमोदित

डी०एम०यू० अधिकारी  
वन मण्डल चौपाल

